न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026 जीसीएमएस वाद संख्याः–2026/30

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. स्व. भोमसिंह पुत्र सरुपसिंह फौत के कायम मुकामः– अ. लक्ष्मणसिंह पुत्र भोमसिंह। ब. खानसिंह पुत्र भोमसिंह। स. जालमसिंह पुत्र भोमसिंह जातियान राजपुत निवासीगण डबाल तहसील सांचौर जिला जालोर।		1. पूरसिंह पुत्र सरुपसिंह जाति राजपूत निवासी डबाल, तहसील–सांचौर। 2. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण अधिवक्ता धवलचंद विश्नोई।

अप्रार्थी संख्य 1 एकपक्षीय

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–13.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि वाके मौजा डबाल, पटवार हल्का डबाल में प्रार्थीगण की दर्जशुदा खातेदारी व मालिकाना हक तथा कब्जाकाश्त की आराजी खसरा संख्या 1858/208, रकबा 0.7350 हेक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खाता संख्या 644 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक करते आ रहे हैं। उक्त खसरा संख्या 1858/208 की उत्तरी–पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या–1 पूर सिंह की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1859/208 स्थित है। श्रीमान सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2025, मुकदमा संख्या 61/2014 की अंतिम डिक्री के अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में खसरा संख्या 1858/208 रकबा 0.7350 हेक्टेयर भूमि मय रास्ता रखी गई है। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या–1 पूर सिंह द्वारा प्रार्थीगण के खेत की उत्तरी–पश्चिमी सीमा की माठ तोड़कर भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को माठ कायम नहीं करने दी जा रही है। दिनांक 05.01.2026 को अप्रार्थी द्वारा अवैध मजमा बनाकर प्रार्थीगण की माठ नष्ट की गई, जिससे निरंतर विवाद उत्पन्न हो रहा है। उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान केवल राजस्व नक्शे के

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनुसार पत्थर गढ़ी/तारबंदी द्वारा नेखमबंदी से ही संभव है। प्रार्थीगण नियमानुसार नेखमबंदी का समस्त खर्च वहन करने को तैयार हैं। सुविधा हेतु जमाबंदी एवं ट्रेस नक्शा संलग्न किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मौजा डबाल, पटवार हल्का डबाल में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1858/208 रकबा 0.7350 हेक्टेयर की राजस्व नक्शे अनुसार स्थायी नेखमबंदी का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी करने की कृपा करें तथा आवश्यकता अनुसार पुलिस थाना सांचौर से समुचित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे शांतिपूर्वक नेखमबंदी संपन्न हो सके।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि मौजा डबाल, पटवार हल्का डबाल में प्रार्थीगण की दर्जशुदा खातेदारी व मालिकाना हक तथा कब्जाकाश्त की भूमि खसरा संख्या 1858/208, रकबा 0.7350 हेक्टेयर, वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 644 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है, जिसका वे शांतिपूर्वक उपयोग कर रहे हैं। उक्त खसरे की उत्तरी–पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या–1 पूर सिंह की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1859/208 स्थित है। अप्रार्थी द्वारा सीमा की माठ तोड़कर अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा दिनांक 05.01.2026 को अवैध मजमा बनाकर माठ नष्ट की गई। अतः निवेदन है कि खसरा संख्या 1858/208 रकबा 0.7350 हेक्टेयर की राजस्व नक्शे अनुसार स्थायी नेखमबंदी का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी किया जाए।

4. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण के भूमि खसरा संख्या 1858/208 की उत्तर–पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या–1 पूर सिंह की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1859/208 स्थित है। सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर द्वारा मुकदमा संख्या 61/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2025 की अंतिम डिक्री अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में खसरा संख्या 1858/208 रकबा 0.7350 हेक्टेयर भूमि मय रास्ता रखी गई है। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थीगण की उत्तरी–पश्चिमी सीमा की माठ तोड़कर अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा माठ कायम नहीं करने दी जा रही है। दिनांक 05.01.2026 को अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से मजमा बनाकर माठ नष्ट की गई, जिससे निरंतर विवाद उत्पन्न हो रहा अतः राजस्व नक्शे अनुसार संख्या 1858/208 व खसरा संख्या 1859/208 के मध्य स्थायी नेखमबंदी (पत्थर गढ़ी) करवाई जाए तथा शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाए। अतः सरहद मौजा डबाल, पटवार हल्का– डबाल, में खसरा नंबर 1858/208 रकबा 0.7350 हैक्टेयर आराजी वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा डबाल, पटवार हल्का–डबाल, में खसरा नंबर 1858/208 रकबा 0.7350 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1859/208 रकबा 2.7950 हैक्टेयर की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 30 दिवस में पालना प्रस्तुत करें एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार सांचौर को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर, जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर, जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)